



2026:AHC-LKO:21960

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र सं. – 823/2026

राम मिलन

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार शर्मा, गिरीश कुमार पांडे, नीरज कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. के निवेदनों को सुना।
2. प्रार्थी की ओर से यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 10/2025 थाना भ्रष्टाचार निवारण गोंडा, जिला गोंडा में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के आरोप में, मुकदमे के परीक्षण के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।
3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दिनांक- 18.11.2025 को यह कहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दीनानाथ नामक एक व्यक्ति ने 13.11.2025 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी—जो **राजस्व निरीक्षक** के पद पर कार्यरत है—ने सीमांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
4. प्रार्थी के अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे किसी गलत आशय से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। रिश्वत की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कथित मांग पर गहरा संदेह है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही शिकायतकर्ता की ज़मीन की हदबंदी पहले ही हो चुकी थी और रिपोर्ट भी जमा की जा चुकी थी; ऐसे में प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह की गैर-कानूनी रिश्वत मांगने का कोई औचित्य या अवसर ही नहीं था। इसके अलावा, यह भी निवेदन किया गया है कि सभी साक्षी 'छापामार दस्ते' के ही सदस्य हैं, और किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने प्रार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। प्रार्थी 18.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की इस स्वतंत्रता का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. *इसके विपरीत*, विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और यह निवेदन किया कि प्रार्थी एक सरकारी पद (राजस्व निरीक्षक) पर कार्यरत था, लेकिन इसके बावजूद वह कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा; उसने रिश्वत की मांग की और बाद में, जब उसे छापामार दस्ते द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसके कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है; और किसी अभियुक्त के ज़मानत प्रार्थना पत्र को न तो दंडात्मक और न ही निवारक उद्देश्यों के लिए निरस्त किया जाना चाहिए।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद—विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी 18.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय



व्यक्त किए बिना—मैं इसे प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

8. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
9. उपर्युक्त मामले में आवेदक—**राम मिलन** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- I. प्रार्थी नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।
- II. प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
- III. प्रार्थी किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की ज़मानत निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ, ज़मानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के संबंध में पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं; और उक्त टिप्पणियों का, परीक्षण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति, राजीव भारती)

26 मार्च, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।